

अन्याय

~~इमरानि मलि सखनारायण शान्ति वर्मा~~
 निवासी मन्दावा तब बेई प्रार्थी/प्रार्थीगण

~~प्रेसचन्द मिला चारा नी बलदा वर्मा~~
 निवासी मन्दावा तब बेई विपक्षी/विपक्षीगण

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत मानव पत्थरगढी करने:

न्यायालय में अभिवक्ता श्री K.C. मन्दावा के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जॉच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जॉच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा मन्दावा पटवार हल्का मन्दावा की आराजी संख्या 1309 कुल कीता-01 कुल रकबा 0.7000

कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा मन्दावा पटवार हल्का मन्दावा की आराजी संख्या 1309 कुल कीता-01 कुल रकबा 0.7000 भूमि की पत्थरगढी हेतु सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिति में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 1500/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र
 कीता-(2)

my
 उपखण्ड अधिकारी, बेगू
 जिला चित्तौडगढ़(राज.)

दिनांक :- 14.5.25

क्रमांक / सरिस्ता / 2025 / 287
 प्रार्थना पत्र संख्या 67/25

य अन्याय इमरानि मलि सखनारायण शान्ति वर्मा प्रार्थना पत्र अध्याय 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको चारसे पालनार्थ दी जाती है।

my
 उपखण्ड अधिकारी, बेगू
 जिला चित्तौडगढ़(राज.)